

श्रमायुक्त कार्यालय छत्तीसगढ़, रायपुर

(निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर छ0ग0)

रायपुर, दिनांक 15/02/2012

—: आदेश :—

क्रमांक/.....66...../2013, बंधक श्रमिकों के पुर्नवास योजनांतर्गत जांजगीर-चांपा जिले के 22 बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु राज्यांश राशि रुपये 10,000/- प्रति श्रमिक के मान से राशि रुपये 2,20,000/- तथा केन्द्रांश राशि की प्रत्याशा में 22+20 (42) बंधक श्रमिकों के लिए राज्यांश राशि रुपये 10,000/- प्रति श्रमिक के मान से रुपये 4,20,000 कुल राशि रुपये 6,40,000/- (रुपये छः लाख चालीस हजार मात्र) का आबंटन प्रदान किया जाता है।

उक्त राशि मांग संख्या - 18, शीर्ष - 2230-श्रम और रोजगार, (01)-श्रम (112) बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास, 0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (2837) बंधक मजदूरों की पुर्नवास योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा जारी वित्त निर्देश 06/2012, परिपत्र क्रमांक/2277/एल-66/2012/वित्त/ब-4/चार, दिनांक 02.03.2012 में उल्लेखित दिशा निर्देश के तहत जारी की जाती है।

(श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित)

o/c

(राजेश श्रीवास्तव)

उप श्रमायुक्त/वित्त अधिकारी
श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर

पृ0क्रमांक/31/बं.श्र./श्र0आ0/2013/1632-38,
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 15/2/12

1. अपर मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. महालेखाकार छ0ग0 रायपुर।
3. कलेक्टर, जांजगीर-चांपा की ओर प्रेषित कर लेख है, कि आबंटित राशि का आहरण कर रू0 20,000/- प्रति श्रमिक के मान से भारत सरकार द्वारा दिशा निर्देशों के तहत बंधक श्रमिकों के पुर्नवास संबंधी कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. कोषालय अधिकारी, जांजगीर-चांपा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. श्रम पदाधिकारी, जांजगीर-चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
6. लेखा शाखा मुख्यालय, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. आदेश प्रकरण पत्रिका में संकलनार्थ।

o/c

उप श्रमायुक्त/वित्त अधिकारी
श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर